पत्रांक– – BZ/26/2025-Sec-01 Edu Dept 380/

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

प्रेषक,

अजय सतीश भेंगरा
सरकार के उप सचिव,

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

...
अनौपचारिक रूप
से परामर्शित।
...

द्वारा :– आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक: 11/03/2026

विषय :– **वित्तीय वर्ष 2025–26 में पी0एम0 पोषण (मध्याह्न भोजन योजना) अन्तर्गत चतुर्थ किस्त संगत राज्यांश की कुल राशि–22714.78 लाख (दो सौ सताईस करोड़ चौदह लाख अठहत्तर हजार रू0 मात्र) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2025–26 में पी0एम0 पोषण (मध्याह्न भोजन योजना) अन्तर्गत चतुर्थ किस्त संगत राज्यांश की कुल राशि–**22714.78 लाख (दो सौ सताईस करोड़ चौदह लाख अठहत्तर हजार रू0 मात्र)** की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है। वित्त विभाग के संकल्प 2199 दिनांक 24.03.2017 में वर्णित दिशा निर्देश के आलोक में पी0एम0 पोषण (मध्याह्न भोजन योजना) हेतु सहायता/अंशदान/अनुदान के रूप में उपलब्ध करायी गई है।

2. भारत सरकार के पत्रांक F.No.17-4/2025-PMP-1 दिनांक–26.02.2026 के द्वारा केन्द्रांश मद में **37909.64 लाख (तीन सौ उन्नासी करोड़ नौ लाख चौसठ हजार रू0 मात्र)** प्राप्त हुआ है, जिसका संगत राज्यांश के रूप में राशि–**22714.78 लाख (दो सौ सताईस करोड़ चौदह लाख, अठहत्तर हजार रू0 मात्र)** निर्गत किया गया है। उक्त राशि की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति अपेक्षित है।

3. अतः उक्त कंडिका–02 में अंकित भारत सरकार द्वारा चतुर्थ किस्त के समानुपातिक राज्यांश की कुल राशि–**22714.78 लाख (दो सौ सताईस करोड़ चौदह लाख अठहत्तर हजार रू0 मात्र)** की स्वीकृति दी जानी है। उक्त राशि की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी जाती है।

4. यह योजना केन्द्र तथा राज्य सरकार के संयुक्त सहयोग से संचालित है। पी0एम0 पोषण (मध्याह्न भोजन योजना) के विभिन्न मदों में राज्यांश की राशि की निकासी हेतु निम्नवत् है :–

(राशि लाख में)

क्रम सं०	मद	प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक हेतु संगत राज्यांश मद में निकासी की जाने वाली राशि।	Total
1	खाद्यान्न	0.00	0.00
2	परिवर्तन मूल्य	20261.62	20261.62
3	रसोईया–सह–सहायक का मानदेय	2453.16	2453.16
4	परिवहन–सह–हथालन	0.00	0.00
5	प्रबंधन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	0.00	0.00
	कुल योग	**22714.78**	**22714.78**

5. उक्त कंडिका–03 में अंकित राशि की निकासी निम्नलिखित राज्यांश बजट शीर्ष से की जाएगीः–

(i) **राज्यांश बजट शीर्ष**:– राज्यांश बजट शीर्ष में व्यय होने वाली राशि–17944.67 लाख (एक सौ उन्नासी करोड़ चौवालीस लाख सड़सठ हजार रू0 मात्र) की निकासी माँग संख्या– 21 मुख्य शीर्ष 2202–सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष–01 प्रारंभिक शिक्षा, लघुशीर्ष–112 प्रधान मंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पी0एम0पोषण) उपशीर्ष–0303 प्राथमिक शिक्षा हेतु पोषणगत समर्थन का राष्ट्रीय कार्यक्रम (प्रधान मंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पी0एम0पोषण) (शिक्षा) विपत्र कोड–21–2202011120303 के अधीन विषय शीर्ष ''31 06–सहायक अनुदान गैर वेतन में उपबंधित राशि– 6,63,49,00,000/–(छः सौ तिरसठ करोड़ उनचास लाख रू0 मात्र) बजट उपबंध से होगा, जिसमें प्रथम अनुपूरक आगणन के माध्यम से 3,56,95,00,000/–(तीन सौ छप्पन करोड़ पंचानवे लाख रू0 मात्र) एवं तृतीय अनुपूरक आगणन के माध्यम से 39,09,00,000/–(उनचालीस करोड नौ लाख रू० मात्र) अतिरिक्त उपबंध शामिल है।

(ii) **राज्यांश बजट शीर्ष**:– राज्यांश बजट शीर्ष में व्यय होने वाली राशि–4088.66 लाख (चालीस करोड़ अठ्ठासी लाख छियासठ हजार रू0 मात्र) की निकासी माँग संख्या– 21 मुख्य शीर्ष 2202 –सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष–01 प्रारंभिक शिक्षा, लघुशीर्ष–789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष–0306 प्राथमिक शिक्षा हेतु पोषणगत समर्थन का राष्ट्रीय कार्यक्रम (प्रधान मंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पी0एम0पोषण) (शिक्षा) विपत्र कोड– 21–2202017890306 के अधीन विषय शीर्ष ''31 06–सहायक अनुदान गैर वेतन में उपबंधित राशि–2,16,25,00,000/–(दो सौ सोलह करोड़ पच्चीस लाख रू0 मात्र) बजट उपबंध से होगा, जिसमें प्रथम अनुपूरक आगणन के माध्यम से 92,60,00,000/–(बानवे करोड़ साठ लाख रू0 मात्र) एवं तृतीय अनुपूरक आगणन के माध्यम से 8,92,00,000/–(आठ करोड़ बानवे लाख रू० मात्र) अतिरिक्त उपबंध शामिल है।

(iii) **राज्यांश बजट शीर्ष**:–राज्यांश बजट शीर्ष में व्यय होने वाली राशि–681.45 लाख (छः करोड़ एकासी लाख पैंतालीस हजार रू0 मात्र) की निकासी माँग संख्या– 21 मुख्य शीर्ष 2202 –सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष–01, प्रारंभिक शिक्षा, लघुशीर्ष–796 जनजातीय क्षेत्र उप योजना, उपशीर्ष–0310 मध्याह्न भोजन योजना (प्रधान मंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना) विपत्र कोड–21–2202017960310 के अधीन विषय शीर्ष ''31 06–सहायक अनुदान गैर वेतन में उपबंधित राशि–28,75,00,000/– (अठ्ठाईस करोड़ पचहत्तर लाख रू0 मात्र) बजट उपबंध से होगा, जिसमें प्रथम अनुपूरक आगणन के माध्यम से 15,45,00,000/–(पन्द्रह करोड़ पैंतालीस लाख रू0 मात्र) एवं तृतीय अनुपूरक आगणन के माध्यम से 1,48,00,000/– (एक करोड़ अडतालीस लाख रू० मात्र) अतिरिक्त उपबंध शामिल है।

6. स्वीकृत राशि का आवंटन बजट पदाधिकारी, शिक्षा विभाग द्वारा किया जाएगा एवं राशि की निकासी उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, नया सचिवालय, पटना से की जाएगी तथा वे सम्पूर्ण राशि, बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति, पटना के नाम HDFC बैंक, राजा बाजार शाखा, खाता सं०–50100440240486 में सीधे CFMS के माध्यम से अंतरित किया जाना है। बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति द्वारा योजना के कार्यान्वयन हेतु आवश्यकता के अनुसार जिलों के बीच राशि का उपावंटन किया जाएगा तथा PFMS के द्वारा लिमिट सेट कर जिलों को राशि उपलब्ध करायी जाएगी।

7. कार्यक्रम का अनुश्रवण विद्यालय स्तर पर विद्यालय शिक्षा समिति, प्रखण्ड स्तर पर प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी/प्रखंड साधन सेवी, जिला स्तर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना/जिला पदाधिकारी एवं इस योजना के लिये संविदा पर नियुक्त अन्य कर्मियों तथा राज्य स्तर पर बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति द्वारा किया जायेगा। राशि प्राप्ति तथा उसके व्यय के पश्चात् जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना शीध्र इसकी उपयोगिता प्रमाण पत्र बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

8. उक्त कंडिका–05 में अंकित राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग स्थायी आदेश संख्या 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं वित्त विभाग राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत संकल्प/परिपत्रों एवं अन्य पत्रों में निहित निर्देशों के आलोक में की जाएगी।

9. वित्त विभाग का संकल्प संख्या 12888 दिनांक 03.12.2024 की कंडिका–05 क (ii) के आलोक में स्वीकृत्यादेश निर्गत किया जा रहा है।

10. बिहार ट्रेजरी कोड–2011 के नियम–269 के अनुसार अंशदान (Contribution) की राशि जो स्वायत निकाय (autonomous bodies) को उपलब्ध कराया जाना है को अनुदान (Grants-in-aid) की श्रेणी में रखा गया है। कंडिका–02 में अंकित राज्यांश की उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा राज्य के मध्याहन भोजन योजना हेतु अंशदान के रूप में उपलब्ध करायी गई है तथा यह राशि अनुदान की राशि है जिसकी निकासी बिहार ट्रेजरी कोड–2011 के नियम 270 के अनुसार BTC Form-42 पर पूर्व प्राप्ति रसीद के आधार पर की जाएगी तथा नियम 271 के अनुसार BTC Form-42A में स्वीकृति पदाधिकारी समिति से उपयोगिता प्रमाण पत्र और अंकेक्षित लेखा प्राप्त करेंगे और उसे विभाग के द्वारा महालेखाकार को भेजा जाएगा।

11. इस राशि का विचलन अन्य किसी मद में नहीं किया जायेगा।

12. राज्यादेश में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं०– BZ/26/2025-Sec-01 Edu Dept 89/टि० पर प्राप्त है।

13. निकासी एवं व्यय की स्वीकृति पर माननीय विभागीय मंत्री महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह०/–
(अजय सतीश भेंगरा)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक :– – BZ/26/2025-Sec-01 Edu Dept -......../ पटना, दिनांक................................

प्रतिलिपि :– वित्त विभाग/योजना एवं विकास विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक :– – BZ/26/2025-Sec-01 Edu Dept -......../ पटना, दिनांक................................

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, नया सचिवालय, पटना, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – BZ/26/2025-Sec-01 Edu Dept ..../ पटना, दिनांक.............................

प्रतिलिपि :– निदेशक, मध्याहन भोजन योजना, बिहार, पटना/ निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/बजट पदाधिकारी/प्रशाखा–05/सहायक निदेशक, मध्याहन भोजन योजना निदेशालय (निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी), शिक्षा विभाग/लेखापदाधिकारी, मध्याहन भोजन योजना निदेशालय शिक्षा विभाग/सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, म0 भो0 यो0, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक :– – BZ/26/2025-Sec-01 Edu Dept 380/ पटना, दिनांक 11/03/2026

प्रतिलिपि: प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

11-3-26
सरकार के उप सचिव